भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4091
उत्तर देने की तारीख 18 अगस्त, 2025
27 श्रावण, 1947 (शक)

'खेलो इंडिया' नीति के उद्देश्य और घटक

†4091. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'खेलो इंडिया' नीति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस नीति के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या हैं;

(ग) इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान है;

(ङ) क्या 'खेलो इंडिया' नीति में जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को मजबूत करने और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान शामिल है; और

(च) क्या 'खेलो इंडिया' नीति में महिलाओं, दिव्यांगजनों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रावधान है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने हाल ही में दिनांक 01.07.2025 को खेलो भारत नीति-2025 का शुभारंभ किया है। यह पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है जिनका उद्देश्य भारत के खेल परिदृश्य को बदलना है। पहला, यह अवसंरचना, प्रतिभा पहचान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर वैश्विक मंच पर राष्ट्र को उत्कृष्टता प्राप्त कराने पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए खेल जो पर्यटन, विनिर्माण और खेल प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खेलों से लाभ उठाने पर बल देता है। तीसरा, सामाजिक विकास के लिए खेल जो खेलों के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है।

चौथा, खेल – एक जन आंदोलन, जिसमें समुदायों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास किया है, जिससे खेल एक सांस्कृतिक आधार बन जाते हैं। अंततः, खेलो भारत नीति-2025, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जो छात्रों, युवाओं में समग्र विकास और जीवन कौशल को पोषित करने के लिए खेलों को शिक्षा के साथ एकीकृत करती है और शैक्षणिक तथा खेल दोनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। इस विशिष्टता /विजन को साकार करने के लिए, यह नीति कई **प्रमुख उद्देश्यों** पर ध्यान केंद्रित करती है, जो नीचे दिए गए हैं:

(i) जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी भागीदारी समूहों के लिए व्यापक खेल कार्यक्रम स्थापित करना।

(ii) विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं और लीगों का आयोजन करना, जिससे एक मजबूत प्रतिस्पर्धी संरचना का निर्माण हो सके।

(iii) खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक साक्षरता पहल को लागू करना।

(iv) भावी चैंपियनों को तैयार करने के लिए एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास प्रणाली विकसित करना।

(v) देश भर में खेल अवसंरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

(vi) खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एथलीट-केंद्रित सहायता प्रणाली उपलब्ध कराना।

(vii) प्रदर्शन और कल्याण को बढ़ाने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और नवाचार को बढ़ावा देना।

(viii) खेल के क्षेत्र में शासन और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना।

(ix) खेलों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण तंत्र में सुधार करना।

(x) खेल-संबंधी उद्योगों और गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

(xi) खेलों के माध्यम से सामाजिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना।

(xii) युवाओं के लिए खेल को एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में स्थापित करना।

(xiii) स्वस्थ राष्ट्र के लिए खेल और फिटनेस गतिविधियों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(xiv) चैंपियन एथलीटों के साथ-साथ संन्यास ले चुके एथलीटों को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।

(xv) शैक्षिक संस्थानों के लिए एक रूपरेखा और दिशानिर्देश विकसित करना ताकि वे खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फीडर संस्थान के रूप में कार्य कर सकें।

विस्तृत उद्देश्यों और विशिष्टताओं के लिए खेलो भारत नीति-2025 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसकी प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट **https://yas.nic.in/sites/default/files/Khelo-Bharat-Niti-2025_0.pdf** पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) किसी भी नीति का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। खेलो भारत नीति-2025 में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा विद्यमान है, जिसमें खेल शासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा; निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स सहित प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना; सुपरिभाषित बेंचमार्क, प्रमुख प्रदर्शन इंडिकेटर्स (केपीआई) और खेलों के समग्र विकास के लिए समयबद्ध लक्ष्यों के साथ एक राष्ट्रीय ढांचा शामिल है। खेलो भारत नीति-2025 में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संपूर्ण सरकार और बहु-हितधारक प्रयासों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, खेलो भारत नीति-2025 को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के तक प्रसारित किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सभी हितधारकों के बीच नीति-2025 का व्यापक प्रचार करें और सही अर्थों में इसके कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय करें। खेल विभाग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ), भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), खेल नियंत्रण बोर्डों (एससीबी), कॉरपोरेट्स और प्रतिष्ठित खिलाड़ियों/कोचों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख खेल प्रशासन और संवर्धन विषयों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है।

(घ) खेलो भारत नीति-2025 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) को वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें वित्तीय निहितार्थ वाले किसी विशिष्ट कार्यक्रम/योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ङ) देश भर में खेल अवसंरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, खेलो भारत नीति-2025 आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक असमानताओं के बावजूद ब्लॉक से राज्य स्तर तक अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए खेल सुविधाओं तक समान पहुंच पर बल देती है।

खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत, यह मंत्रालय खेल उपकरणों के साथ-साथ खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसी मूलभूत खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत, खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अलावा, भविष्य के चैंपियनों को तैयार करने के लिए एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से, खेलो भारत नीति-2025 का लक्ष्य राष्ट्रीय खेल परिसंघ

(एनएसएफ), राज्य, शैक्षणिक संस्थान, निजी संगठन जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों को शामिल करके खेल प्रतिभा पहचान और विकास गतिविधियों का विस्तार करना है। इसमें एक राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने का भी प्रावधान है जो प्रतिभाओं की पहचान, विकास और निगरानी के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करने और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एकीकृत करने तथा एथलीटों के लिए एक सुचारु संक्रमण तंत्र को प्रमुख घटकों के रूप में स्थापित करने में सहायता करेगा।

(च) महिलाओं, दिव्यांगजनों और खेलों में लाभ वंचित समुदायों सहित जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी भागीदार समूहों के लिए, व्यापक खेल कार्यक्रम स्थापित करने के उद्देश्य से, खेलो भारत नीति-2025 में महिलाओं, दिव्यांगजनों और लाभ वंचित समुदायों के बीच खेलों में भागीदारी बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाओं के साथ समर्पित खेल सुविधाएं स्थापित करने के प्रावधान हैं। ये समावेशी अवसंरचना बाधाओं को कम करने और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। इसमें इन समूहों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए नियमित खेल लीग आयोजित करने का भी प्रावधान है ताकि सहभागिता बढ़ाई जा सके और भागीदारी के निरंतर अवसर प्रदान किए जा सकें।

******